प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह'

[27/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1276]

प्र.क्र. 1276 पटि-35

धारा 13. संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति - (1) राज्य सरकार संभागों का सृजन कर सकेगी जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे, जिन्हें कि वह ठीक समझे और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगी या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार किसी जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिलों या तहसीलों का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी और किसी जिले को उपखण्डों में विभाजित कर सकेगी तथा किसी उपखण्ड की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या उसे समाप्त कर सकेगी :

परंतु राज्य सरकार, किसी संभाग या जिले या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन संभागों, जिलो या तहसीलों का सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों या तहसीलों को समाप्त करने संबंधी किसी प्रस्थापना पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, ऐसी प्रस्थापनाओं को, आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए, विहित प्ररूप में प्रकाशित करेंगी और प्रस्थापना करेंगी और प्रस्थापना के संबंध में की गई किन्हीं भी आपत्तियों पर विचार करेंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार के आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक तहसील को जिले का उपखण्ड समझा जाएगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग शाखा-6
मंत्रालय, भोपाल